प्ररूप – ड
(नियम3(2)देखिये)
अनुशंसा

प्रति,

श्री कौशल कुमार सिन्हा पिता भूपेन्द्र कुमार सिन्हा
निवासी ग्राम अंगारी तहसील व जिला बालोद

विषय :– प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुज्ञा।

––000––

विषयांतर्गत आपका आवेदन दिनांक 11.04.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वनविभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक 03.05.2025 को जारी किया गया। संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 03.05.2025 को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है :– **नायब तहसीलदार बालोद द्वारा अपने जॉच प्रतिवेदन मे आवेदित भूमि पर स्थित 01 नग इमली प्रजाति के वृक्ष आवेदक के व्यय पर वृक्ष की प्रभावित डंगाल की छटाई किये जाने प्रतिवेदित किये है ।**

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि **ग्राम अंगारी स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख0नं0 269/2 रकबा 0.01 हे0 मे स्थित निरीक्षण जॉच प्रतिवेदन अनुसार 1 नग इमली प्रजाति के वृक्ष है,** को कटाई छटाई किये जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष के प्रभावित डाली के कटाई छटाई के आवेदन पर अनुशंसा अभिव्यक्त की जाती है।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वप उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुज्ञा शून्य होगी।

यह अनुशंसा आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य होगी।

16/06/25

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभाग बालोद, तह. बालोद
जिला–बालोद (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, बालोद (छ.ग.)

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर जिला बालोद की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल बालोद की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. नायब तहसीलदार बालोद को ओर सूचनार्थ।
4. अनावेदक हरख राम पिता त्रिलोकराम ग्राम अंगारी तहसील व जिला बालोद को सूचनार्थ।

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
अनुविभाग बालोद, तह. बालोद
जिला–बालोद (छ.ग.)

Scanned with CamScanner